आर्डर शीट

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 182/2023 अनवान ***सवाईसिंह बनाम कमला वगैरा***

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.05.26	उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 19.08.25 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न ओथ कमिश्नर द्वारा तस्दीक शुदा राजीनामा के कम में निस्तारण हेतु लंबित चल रही थी। रेस्पो0 अधिवक्ता ने दिनांक 11.05.26 को इसका जवाब–लिखित किया, जो शामिल पत्रावली है। बहस सुनी गई। उभय पक्ष द्वारा अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं0 1 के मध्य ओथ कमिश्नर द्वारा तस्दीकशुदा राजीनामा में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि उक्त अपील अपीलार्थी–सवाईसिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व अपील/मुकदमा संख्या 47/2021 बअनवान कमला बनाम जसराज वगैरा मे पारित निर्णय दिनांक 13.12.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–अपीलांट–कमला द्वारा प्रस्तुत अपील में पारित अपीलाधीन आदेश द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार कर, सरपंच, ग्राम पंचायत नाडाऊ द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन जैर नामान्तरकरण संख्या 135 ग्राम रूपनगर दिनांक 5.5.11 को अपास्त करते हुए, प्रकरण तहसीलदार सेखाला को स्व0 सुन्दरलाल पि. किशनीराम के विधिक वारिसों की जांच कर पुनः	

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

नामान्तरकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था। जिसके विरूद्ध अपीलांट–सवाईसिंह द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

आलौच्य प्रकरण में लोक अदालत की भावना व आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है। जिसके अनुसार प्रत्यर्थी सं0 1–कमला के पक्ष में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2022 को निरस्त किया जाता है एवं अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 135 दिनांक 5.5.11 को पुनः बहाल किया जाता है, तो किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति नही है। लिहाजा प्रस्तुत अपील जरिये राजीनामा स्वीकार कर, निस्तारित फरमावे। उक्त राजीनामा पर रेस्पो0 सं0 1 से 4 के अधिवक्ता द्वारा 'नो–आब्जेक्शन' अंकित किया हुआ है।

रेस्पो0सं0 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा जवाब–लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर, अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2022 को निरस्त किया जाता है एवं ना0क0सं0 135 ग्राम रूपनगर दिनांक 05.05.2011 को बहाल को बहाल किया जाता है, तो प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 पूर्णत्तया सहमत है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाने का आदेश फरमावे।

अतः उभय पक्ष की इस्तदुआ पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व अपील/मुकदमा संख्या 47/2021 (2021/148) बअनवान कमला बनाम जसराज वगैरा मे

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2022 निरस्त किया जाता है एवं अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 135 ग्राम रूपनगर दिनांक 05.05.2011 को पुनः बहाल किया जाकर, अपील अपीलांट जरिये राजीनामा निस्तारित की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड, निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे। निर्णय आज दिनांक खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

15/5/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर